न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 37/2024

अनवान :

नरेश पुत्र दरियासिंह जाति जाट निवासी घोटड़ा पट्टा हाल आबाद नोहर त0 नोहर।

:– वादी

बनाम

1. दरियासिंह पुत्र लखीराम जाति जाट निवासी घोटड़ा पट्टा हाल आबाद नोहर त0 नोहर।
2. शकुन्तला पुत्री लखीराम जाति जाट निवासी घोटड़ा पट्टा हाल आबाद नोहर त0 नोहर।
3. पूजा पुत्री दरियासिंह जाति जाट निवासी घोटड़ा पट्टा हाल आबाद नोहर त0 नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री योगेश शर्मा: **वादी**

वकील श्री सुभाष शर्मा: **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :** 02.04.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा घोटड़ा पट्टा के खाता सं0 23/23 के ख0सं0 101 की 16.225 है0, ख0न0 131 की 1.973 है0, ख0न0 176 की 2.428 है0, ख0न0 195/55 की 4.692 है0, ख0न0 200/134 की 3.832 है0, ख0न0 68 की 2.2380 है0, ख0न0 77 की 6.222 है0 कुल 37.6100 है बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में नरेश पुत्र दरियासिंह जाति जाट निवासी घोटड़ा पट्टा तहसील भादरा हाल आबाद नोहर तहसील नोहर के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम घोटड़ा पट्टा खाता संख्या 23/23 सम्वत 2074–77 प्रदर्श 1, जमाबंदी खतौनी घोटड़ा पट्टा संवत 2038 प्रदर्श 2, भूप्रबंध विभाग जमाबंदी संवत 2029–38 प्रदर्श 3, कुर्सीनामा नगरपालिका मण्डल नोहर प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक जवाबदावा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.22 12:54:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम घोटड़ा पट्टा

Scanned with CamScanner

...राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद ...श किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा घोटड़ा पट्टा के खाता सं0 सं0 23/23 के ख0सं0 101 की 16.225 है0, ख0न0 131 की 1.973 है0, ख0न0 176 की 2.428 है0, ख0न0 195/55 की 4.692 है0, ख0न0 200/134 की 3.832 है0, ख0न0 68 की 2.2380 है0, ख0न0 77 की 6.222 है0 कुल 37.6100 है बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 दरियासिंह व प्रतिवादी सं0 2 शकुन्तला का नाम कलमजन किया जाकर वादी नरेश व प्रतिवादी सं0 1 दरियासिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित जावें। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक जबाबदावा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक जबाबदावा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घोटड़ा पट्टा के खाता सं0 सं0 23/23 के ख0सं0 101 की 16.225 है0, ख0न0 131 की 1.973 है0, ख0न0 176 की 2.428 है0, ख0न0 195/55 की 4.692 है0, ख0न0 200/134 की 3.832 है0, ख0न0 68 की 2.2380 है0, ख0न0 77 की 6.222 है0 कुल 37.6100 है बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 दरियासिंह व प्रतिवादी सं0 2 शकुन्तला का नाम कलमजन किया जाकर वादी नरेश व प्रतिवादी सं0 1 दरियासिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.22 12:34:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 37/2024

अनवान :

नरेश पुत्र दरियासिंह जाति जाट निवासी घोटड़ा पट्टा हाल आबाद नोहर त0 नोहर।

:— वादी

बनाम

1. दरियासिंह पुत्र लखीराम जाति जाट निवासी घोटड़ा पट्टा हाल आबाद नोहर त0 नोहर।
2. शकुन्तला पुत्री लखीराम जाति जाट निवासी घोटड़ा पट्टा हाल आबाद नोहर त0 नोहर।
3. पूजा पुत्री दरियासिंह जाति जाट निवासी घोटड़ा पट्टा हाल आबाद नोहर त0 नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुभाष शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा घोटड़ा पट्टा के खाता सं0 सं0 23/23 के ख0सं0 101 की 16.225 है0, ख0न0 131 की 1.973 है0, ख0न0 176 की 2.428 है0, ख0न0 195/55 की 4.692 है0, ख0न0 200/134 की 3.832 है0, ख0न0 68 की 2.2380 है0, ख0न0 77 की 6.222 है0 कुल 37.6100 है बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 दरियासिंह व प्रतिवादी सं0 2 शकुन्तला का नाम कलमजन किया जाकर वादी नरेश व प्रतिवादी सं0 1 दरियासिंह को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.04.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.22 12:34:29 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner